फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री उंकारलाल **विपक्षी : श्री केशुराम**

किस्म मुकदमा – 53,88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 203/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बंटवाडे की दाद को ड्रोप करते हुए वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वाद स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्क सुने। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री प्यारचन्द, पीडब्ल्यू 2 श्री तुलसीराम, पीडब्ल्यू 3 श्री नाथु, पीडब्ल्यू 4 श्री नारायणलाल का पेश किया। वादीगण द्वारा दस्तावेज मेवाड बन्दोबस्त की नकल सम्वत् 1984 प्रदर्श 1, 2, जमाबन्दी ईण्टाली सम्वत् 2023–26 प्रदर्श 3, सेटलमेन्ट खसरा पत्रक सेटलमेन्ट सम्वत् 2028 प्रदर्श 4, मिलान खसरा प्रदर्श 5, ईण्टाली की जमाबन्दी सम्वत् 2030 प्रदर्श 6, वर्तमान जमाबन्दी भाइलो का खेडा सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 7 पेश किये। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पूर्व में मूल पुरूष देवा के नाम होना बताया जो देवा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पेमा व गोकल के नाम बराबर हिस्से से दर्ज होना बताया। पेमा की मृत्यु के पश्चात् सम्वत् 2030 में अमरा, कन्ना पिता पेमा का 1/3 एवं भाना, केशुराम पिता गोकल का 2/3 हिस्सा दर्ज कर लिया गया हैं। भाना की लाऔलाद मृत्यु हो जाने से वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 केशुराम के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज है जबकि पेमा के वारिसों के नाम 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 केशुराम के नाम 1/2 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी।

पत्रावली एवं दस्तावेज के अवलोकन से प्रदर्श 1 में आराजी नम्बर 2744 में पेमा, गोकल पिता देवा दर्ज हैं। दस्तावेज प्रदर्श 2 में भी आराजी नम्बर 2736 व 2742 पेमा, गोकल पिता देवा के नाम दर्ज हैं। प्रदर्श 3 में भी पेमा पिता देवा, भाना, केसुराम पिता गोकल के नाम दर्ज हैं। भू प्रबन्धन विभाग के खसरा परिशोधन पत्र सम्वत् 2028 प्रदर्श 4 में पेमा की मृत्यु के पश्चात् अमरा, कन्ना पिता पेमा का 1/3, भाना, केसुराम पिता गोकल का 2/3 हिस्सा दर्ज कर लिया गया। उसके पश्चात् बनने वाली जमाबन्दी दस्तावेज प्रदर्श 5, 6 में इसी अनुसार हिस्सा गलती से अंकन होता चला आ रहा हैं। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता खुबीलाल रेगर द्वारा उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार कर 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने पर आपत्ति नहीं होना बताया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहों में भी मौके पर 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा चला आने का कथन किया हैं। सेटलमेन्ट के दौरान त्रुटि होने से उक्त त्रुटि को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। वादीगण द्वारा बंटवाडे की दाद नहीं चाहने से बंटवाडे की दाद को ड्रोप की जाती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं आपसी सहमति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा चायलो का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 4607, 4609 किता 2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/4, वादी सं. 4 से 9 को संयुक्त रूप से 1/12, वादी संख्या 10 को 1/12, वादी संख्या 11 को 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार [illegible] र से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:21:19 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री उंकारलाल पिता अमरा रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
2. श्री प्यारचन्द पिता अमरा रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
3. मोहनी पुत्री अमरा रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
4. गंगाबाई बेवा वेणीराम रेगर निवसी ईण्टाली तह. मावली।
5. श्री सुरेशचन्द्र पिता वेणीराम रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
6. श्री पूनमचन्द पिता वेणीराम रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
7. श्री पुष्कर पिता वेणीराम रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
8. कुसुम पुत्री वेणीराम रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
9. रामी पुत्री वेणीराम रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
10. श्री तुलसीराम पिता कना रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
11. जमकुबाई पुत्री कना रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. श्री केशुराम पिता गोकल रेगर निवासी ईण्टाली तह. मावली।
2. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 203/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00066

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. का. अधिनियम का आपसी सहमति अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा चायलो का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 4607, 4609 किता 2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि में वादी सं. 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/4, वादी सं. 4 से 9 को संयुक्त रूप से 1/12, वादी संख्या 10 को 1/12, वादी संख्या 11 को 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.08.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:21:19 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली